

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर



जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

टेलीफैक्स :- 0141-2222403, ईमेल:-dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :- एफ 55()Engg./CE/DLB/ 17/ 21975-22166

दिनांक :- 18/4/2017

1. आयुक्त, नगर निगम समस्त।
2. आयुक्त, नगर परिषद, समस्त।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, समस्त।

विषय :-स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट के स्रोत पर प्रभावी (Segregation at Source) हेतु दिनांक 12.04.2017 को MoUD द्वारा vc के दौरान दिये गये निर्देशों की पालना के क्रम में।

विषयान्तर्गत लेख है, कि पूर्व में आपको विभागीय पत्र क्रमांक 18003-199 दिनांक 04.03.2017 द्वारा कचरे के स्रोत पर पृथक्कीकरण के लिए प्रत्येक घर में दो डस्टबिन (गीले कचरे हेतु हरा डस्टबिन एवं अन्य कचरे हेतु नीला डस्टबिन) रखे जाने के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश प्रदान किये जाकर पालना रिपोर्ट चाही गई थी।

इस क्रम में आपके द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है :-

1. विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून, 2017) की तैयारियाँ हेतु कचरे के स्रोत पर पृथक्कीकरण के लिए प्रत्येक नगरीय निकाय अपने स्तर पर "स्वच्छ भारत वेस्ट कन्टेनर सेट" (प्लास्टिक बिन) DGS&Ds Government e Market place (GeM) पोर्टल से पर्याप्त मात्रा में क्रय कर नागरिकों को उपलब्ध कराएँ।
2. GeM पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के उपरान्त दर संविदा पर उपलब्ध Bins का नियमानुसार क्रय किया जा सकता है। नगरवासियों को कचरे के पृथक्कीकरण हेतु प्रत्येक घर में दो बिन दिये जाने की कार्य योजना बनाकर उनका क्रय किया जावे क्रय हेतु स्वच्छ भारत मिशन के SWM घटक में उपलब्ध राशि में से 35 प्रतिशत राशि का उपयोग किया जा सकता है। शेष राशि की व्यवस्था जन सहभागिता, SFC/FFC या निकाय के स्वयं के स्रोत से की जा सकती है।
3. Segregation हेतु Bin के क्रय हेतु DGS&Ds Government e Market place (GeM) पोर्टल पर प्रत्येक निकाय अपना रजिस्ट्रेशन तुरन्त प्रभाव से करावे। GeM पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हेतु दिशानिर्देश अनुलग्नक 'अ' पर संलग्न है।
4. स्थानीय स्तर पर प्लास्टिक Bins के निर्माता फर्मों से वार्ताकर उनको GeM पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हेतु प्रेरित किया जावे।
5. इस कार्य हेतु आपके द्वारा नामित नोडल अधिकारी का नाम एवं नम्बर भारत सरकार को उपलब्ध करवाये जाने हैं।
6. ODF प्लस हेतु FSSM के प्लान तैयार कर उनको सक्षम स्तर से अनुमोदित करवाया जाकर FSSM की व्यवस्था की जावे।

7. 5 जून 2017 पर्यावरण दिवस पर प्रत्येक निकाय में कचरे के स्रोत पर पृथक्कीकरण हेतु कार्यक्रम रखे जाकर उसका प्रचार प्रसार किया जावे तथा आमजन को इस हेतु प्रेरित करने हेतु आईईसी गतिविधिया चलाई जावे। उक्त कार्यक्रम की रिपोर्ट स्वच्छ भारत मिशन के पोर्टल पर अपलोड की जावे।

शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 07.04.2017 द्वारा निर्देशानुसार GeM पोर्टल से स्वच्छ भारत वेस्ट कन्टेनर सैट (हरा एवं नीला प्लास्टिक बिन) क्रय करने से पूर्व GeM पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाना है। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इस के लिए email ID बनाई जाकर उपलब्ध करवाई जा रही है। भारत सरकार द्वारा प्राप्त ID को Activate **संलग्न अनुलग्नक 'ब'** के अनुसार किया जा सकेगा।

GeM पोर्टल से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की जानकारी/सहायता के लिए शहरी विकास मंत्रालय में भी राजन शर्मा, मोबाईल नं. 9416000920 तथा अनिश मुस्ताक, मोबाईल नं. 8375841883 एवं हेल्प लाईन नम्बर पर सम्पर्क किया जा सकता है।

अतः भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में कचरे के स्रोत पर पृथक्कीकरण (Segregation at Source) हेतु प्लास्टिक बिन का क्रय DGS&Ds Government e Market place (GeM) पोर्टल से किया जाकर नागरिकों को वितरित किये जाने की कार्यवाही अतिशीघ्र की जावे एवं रिपोर्ट भिजवाएँ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

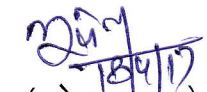

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक :- 18/4/17

क्रमांक :- एफ 55()Engg./CE/DLB/ 17/ 22167-22463
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (SBM), भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110011
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
5. जिला कलक्टर समस्त राजस्थान।
6. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय, समस्त राजस्थान।
7. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशोषी अभियन्ता, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
8. प्रोग्रामर, निदेशालय विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. टीमलीडर, PMU स्वच्छ भारत मिशन, जयपुर।
10. सुरक्षित पत्रावली।


(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियन्ता

नगर निकायों की पंजीकरण की प्रक्रिया को GeM पोर्टल पर दो भागों में बाटा गया है।

1. Primary User Registration:- Primary User नगर निकाय का HOD (आयुक्त/अधिशाली अधिकारी) होगा।
2. Secondary User Registration:- Secondary User is the Buyer or Consignee नोडल व्यक्ति जो Primary User द्वारा नियुक्त किया गया है, GeM पोर्टल पर होने वाले Transaction के कार्य को अंजाम देगा।

1. Primary User Registration की प्रक्रियाविधि/आवश्यकता :-

- a) Name employee ID of officer
- b) nic/gov.in email ID of the ULB HOD (Having Organization name in their domain)
(नोट :- व्यक्तिगत, gmail, yahoo इत्यादि ID मान्य नहीं होगी।)
- c) आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नं० अनिवार्य है।

प्रक्रियाविधि :-

- i. GeM.gov.in/registration/org/sign up
- ii. संस्थान का विवरण प्रदान करें।
- iii. उचित/उपायुक्त भुगतान का तरीका चुनें।
- iv. Primary User details प्रदान करें।
- v. सत्यापित अधिकारी का विवरण प्रदान करें।
- vi. Submit and Register

2. Secondary User Registration की प्रक्रियाविधि/ आवश्यकता :-

- a) अधिकारी का पद Section officer या उससे उपर का होना चाहिये।
- b) आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नं० अनिवार्य है।

प्रक्रियाविधि :-

- i. Primary User अपने Login Id और पासवर्ड से Login करने के बाद Secondary User को Add कर सकता है।
- ii. Secondary User की Id सक्रियकरण के समय Secondary User की Procurement process की भूमिका तथा दिशानिर्देश Primary User की Mail Id पर भेज दिया जायेगा।



अनु-ब



D.O. PL / SBM / 08 / 2017

Date: 7th April 2017

Dear Madam/ Sir,

Please refer to my earlier letter with DO No. PL / SBM / 06 / 2017 dated 31st March 2017 regarding assistance in registration process for DGS&D's GeM portal for Procurement of Bins to prepare for source at segregation on World Environment Day 2017.

1. In this context ULBs have been advised to procure in large number, "Swachh Bharat Waste Container Set (Plastic Garbage Bins)" from DGS&D's GeM Portal (<https://gem.gov.in/>) to distribute among the residents.

2. In light of the above, to simplify the registration process, MoUD will assist the ULBs in the following

- Creation of mandatory .nic email address for the ULB
- Provision of the unique ULB code that can be used as Employee ID

3. We have created nic e-mail Id's for 279 ULB's and are in the process of creating for remaining ULBs. Attached is the list of 279 ULB's along with their NIC Id's and unique ULB codes. You are requested to activate your email account within next 2 days as the password will expire after that. Following is the process

- Go to <https://mail.gov.in>
- Enter your login credentials and change password

Once you have changed your password, you are kindly requested to proceed with the registration on GeM Portal at the earliest.

4. Further, you are also requested to submit your plan of action comprising procurement & distribution of bins, capacity building of ULB employees, IEC & BCC activities in the city, advancement in collection and transportation activities for segregating waste to MoUD, at the earliest.

With regards,

Yours Sincerely,



(Praveen Prakash)

To: Municipal Commissioners- All 500 Cities
Mission Directors- All States

Copy to: DS (SBM-I); PPS to Secretary (UD), CPHEEO